

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/3133-3184
संख्या में,

दिनांक: 22/01/26

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम दिल्ली/नई दिल्ली।
3. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, जयसिंह मार्ग, नई दिल्ली।
4. विशेष आयुक्त, पुलिस (मातायात पुलिस), टोडापुर, नई दिल्ली।

ध्यानाकर्षण :सम्बद्ध जनसूचना अधिकारी/राजभाषा कार्यान्वयन अधिकारी।

विषय: प्रत्येक विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट राजभाषा हिन्दी में बनाए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 06.12.2012 एवं 03.9.2013 को जारी परिपत्र सं० 8(1)/2012-क0सं0 एवं भाषा/2720-2723 दिनांक 8.1.2012-क0सं0 एवं भाषा/1755-58 एवं दिनांक 4.4.2022 को जारी परिपत्र सं० 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/333 - 383 व दिनांक 27.03.2023, 13.10.2023, 30.10.2024 व 29.04.2025 के संदर्भ में देखें ;www.artandculture.delhigovt.nic.in)। इस परिपत्र के अनुसार राजभाषा भाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत उल्लिखित निदेशों के अनुसार प्रत्येक विभाग को अपनी वेबसाइट अनिवार्य रूप से राजभाषा हिन्दी में बनाये जाने का उल्लेख था। पुनः आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग की वेबसाइट राजभाषा हिन्दी में तैयार करने के लिये अविलम्ब कदम उठाये तथा इस विषय में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी यथाशीघ्र इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।



Dy. Director (IT)
Delhi Jal Board, GNCTD

Dy. No. 33a dt 11/2/26

अजय सिंह
22.1.26

उप-सचिव (क0सं0 एवं भाषा)

दिनांक: 22/01/26

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/3185-3197

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. पंजीयक, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली ।

PUC may be sent to Dy. Dir. (IT) please.

Dr. Dir. (B) *male*

Dy. Dir. (IT)

11/02/26

11/02/26

10/2/26

6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ।
7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जयसिंह मार्ग, अशोक रोड, नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को अनुपालनार्थ ।
8. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली ।
9. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली को परिषद के प्रत्येक बड़े विभाग को अनुपालनार्थ ।
10. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ ।
11. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन को अनुपालनार्थ ।
12. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झण्डेवाला, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु ।

अजय सिंह
22-1-26

(अजय सिंह)
उप-सचिव (कॉर्सिंग एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/3312-3311

दिनांक: 22/01/2024

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, समस्त स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषय: दिल्ली सरकार के सभी विभागों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने का अनुरोध।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर इस विभाग द्वारा जारी पत्रांक संख्या 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा दिनांक 19.08.19 का तथा तदुपरान्त जारी अनुस्मारक दिनांक 04.04.2022, 27.03.23 13.10.2023, 30.10.2024 व 29.04.2025 का संदर्भ लें। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के विभागों तथा उनसे जुड़े उपक्रमों/निकायों/संस्थानों में राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियमावली, 1976 एवं दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2003 के नियमों तथा इनके अन्तर्गत जारी आदेशों/निदेशों के उपबंधों के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिन्दी में कार्य न किए जाने संबंधी गणमान्य व्यक्तियों/सामान्य व्यक्तियों/कर्मचारियों से बार-बार पत्र प्राप्त होते रहते हैं और यह विभाग उन पत्रों का संतोषजनक उत्तर देने की स्थिति में नहीं पाता है। इस सरकार की दिनांक 14.01.2004 की अधिसूचना सं० 7 (9)/97-भाषा के अनुसार हिन्दी को दिल्ली की राजभाषा पहले ही घोषित किया जा चुका है परन्तु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किसी भी विभाग में अपेक्षित प्रतिशत कार्य राजभाषा में नहीं हो रहा है, जो विभागों की हिन्दी के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

जबकि दिल्ली सरकार के अधिकतर अर्थात् 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी/अधिकारी हिन्दी में प्रवीण हैं और लगभग सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान भी रखते हैं। यह विभाग हिन्दी में प्रवीण अधिकारियों/कर्मचारियों से टिप्पण, प्रारूपण इत्यादि के लिए केवल हिन्दी का प्रयोग करने की आशा करता है जबकि वर्तमान स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। यहां तक कि हिन्दी में लिखे गए अथवा हस्ताक्षरित पत्रों तक का उत्तर भी जनसाधारण, गणमान्य व्यक्तियों, कर्मचारियों, स्वयं सेवी संगठनों/संस्थाओं आदि को अंग्रेजी में दिया जाता है। इस संबंध में राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 एवं नियम 7 (1) (2) एवं 7 (3) में स्पष्ट उल्लेख है जिसके उद्घरण अनुपालन हेतु निम्न प्रकार हैं :-

नियम 5 के अनुसार, नियम 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी हिन्दी में पत्रादि के उत्तर हिन्दी में दिये जायेंगे।

आवेदन, अभ्यावेदन आदि :- 7. (1) कोई कर्मचारी आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

(2) जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिनका कर्मचारी पर तामिल किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्पक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों के सभी उपबंधों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु अपने अधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यथोचित निदेश देने का कष्ट करें। इस संबंध में आपको पूर्व में पत्र सं0फा0 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/ दिनांक 27.03.2023, 13.10.2023 व 30.10.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है।

भवदीय
 31/01/26
 (अजय सिंह)
 उप-सचिव (क0सं0 एवं भाषा)

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/ 3362-3374

दिनांक: 22/01/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय परिसर, तीस हजारी दिल्ली ।
6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ।
7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जयसिंह मार्ग, अशोका रोड, नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को अनुपालनार्थ ।
8. उपायुक्त, यातायात पुलिस (मुख्यालय), देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली ।
9. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली ।
10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली को परिषद के प्रत्येक बड़े विभाग को अनुपालनार्थ ।
11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ ।
12. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन को अनुपालनार्थ ।
13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झण्डेवाला, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु ।

अजय सिंह
 (अजय सिंह)
 उप-सचिव (क0सं0 एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/3069-3115

दिनांक: 22/01/2026

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, समस्त स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर इस विभाग द्वारा जारी पत्रांक संख्या 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा दिनांक 19.08.2019 का तथा तदुपरान्त जारी अनुस्मारक दिनांक 04.04.2022, 27.03.2023, 13.10.2023, व 30.10.2024 व 29.04.2025 का संदर्भ लें। राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसके अन्तर्गत बनाई गई राजभाषा नियमावली 1976 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली सरकार के समस्त विभागों में हिन्दी के अधिक से अधिक प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000 दिनांक 26.1.04 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू हो चुका है, जिसमें हिन्दी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की प्रथम राजभाषा घोषित किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में समस्त विभागों में राजभाषा हिन्दी की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने की आवश्यकता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति संबंधित विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की जायेगी जिसमें संबंधित विभाग के समस्त अनुभागों के एक एक अधिकारी को उपरोक्त समिति में शामिल किया जायेगा।

आपसे अनुरोध है कि यदि आपके विभाग में राजभाषा समिति गठित नहीं की गई है तो उसका ऊपरलिखित बताये गये निर्देशों के अनुसार समिति का गठन करके उसकी सूचना परिपत्र जारी होने की तिथि से 15दिन के भीतर इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय सिंह
22.1.26
(अजय सिंह)

उप-सचिव (क0सं0 एवं भाषा)

दिनांक: 22/01/26

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/3119-3131

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय परिसर, तीस हजारी दिल्ली ।
6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली ।

7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जयसिंह मार्ग, अशोक रोड, नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन के अनुपालनार्थ।
8. उपायुक्त, यातायात पुलिस (मुख्यालय), देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली।
9. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली।
10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केंद्र, नई दिल्ली को परिषद के प्रत्येक बड़े विभाग को अनुपालनार्थ।
11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ।
12. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन को अनुपालनार्थ।
13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, धरुणालय फंस-2, झण्डेवाला, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु।

अजय सिंह
22.12.20

(अजय सिंह)
उप-सचिव (क0स0 एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/ 3325- 3424

दिनांक: 22/01/2026

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, समस्त स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषय: राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में कार्य सुनिश्चित करने का अनुरोध ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर इस विभाग द्वारा जारी पत्रांक संख्या 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा दिनांक 19.08.2019 का तथा तदुनरान्त जारी अनुस्मारक दिनांक 04.04.22, 27.03.23, 13.10.2023, 30.10.2024 व 29.04.2025 का संदर्भ लें। दिल्ली सरकार तथा इसके स्थानीय निकायों/उपक्रमों में राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुसार समय-समय पर दिल्ली की प्रथम राजभाषा में कार्य सुनिश्चित करने के लिये अनुरोध किया जाता रहा है, लेकिन इस संबंध में गणमान्य व्यक्तियों / हिन्दी से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं से दिल्ली सरकार के अधिकतर विभागों के अधिकतर अधिकारी/कर्मचारी द्वारा राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुरूप राजभाषा हिन्दी में कार्य न किए जाने संबंधी पत्र निरन्तर प्राप्त होते रहते हैं।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के प्रति अपने वैधानिक दायित्व का निर्वाह करते हुए सभी अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुसार अपने कार्यालय कार्य हिन्दी में करने के लिये यथोचित निदेश देने का कष्ट करें।

मुख्यीय
अजय सिंह
22-1-26
(अजय सिंह)
उप-सचिव (क0सं0 एवं भाषा)

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/ 3425- 3437

दिनांक: 22/01/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली।
5. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय परिसर, तीस हजारी दिल्ली ।
6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ।

7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जयसिंह मार्ग, अशोका रोड, नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को अनुपालनार्थ।
8. उपायुक्त, घाताघात पुलिस (मुख्यालय), देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली।
9. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली।
10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली को परिषद के प्रत्येक वडे विभाग को अनुपालनार्थ।
11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ।
12. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन को अनुपालनार्थ।
13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झण्डेवाला, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु।

3165/11E
22.1.26

(अजय सिंह)

उप-सचिव (क०सं० एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/3438-3487

दिनांक: 22/01/26

सेवा में

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, समस्त स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषय: सरकारी भवनों, कार्यालयों तथा सड़कों के नामपट्ट हिन्दी के साथ-साथ उर्दू तथा पंजाबी भाषा में लिखने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर इस विभाग द्वारा जारी पत्रांक संख्या 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा दिनांक 19.08.19 का तथा तदुपरान्त जारी अनुस्मारक दिनांक 04.04.2022, 27.03.2023, 13.10.2023, 30.10.2024 व 29.04.2025 का संदर्भ लें। दिनांक 17.03.2004 के समसंख्यक पत्र और दिनांक 25.4.2004 के अनुस्मारक पत्र एवं दिनांक 4.4.2022 के परिपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनमें दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 में पंजाबी व उर्दू भाषा के प्रयोग की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करने तथा राजभाषा अधिनियम के अनुसार सरकारी भवनों, सरकारी कार्यालयों के समस्त नामपट्ट हिन्दी के साथ-साथ उर्दू तथा पंजाबी में लिखवाने का अनुरोध किया गया था।

आपसे पुनः अनुरोध है कि दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000 में पंजाबी और उर्दू भाषा के लिये किये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समस्त सरकारी कार्यालयों, सरकारी भवनों के नाम पट्ट हिन्दी के साथ-साथ उर्दू तथा पंजाबी में लिखवाएं जायें। इस संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई के लिये इस विभाग के अलावा सचिव, पंजाबी अकादमी, फोन संख्या 23616243, 23616265 और सचिव, उर्दू अकादमी का फोन संख्या 23863858, 23863566 से भी संपर्क किया जा सकता है।

भवदीय
अजय सिंह
22.1.26
(अजय सिंह)
उप-सचिव (क0सं0 एवं भाषा)

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/3488-3500

दिनांक: 22/01/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय परिसर, तीस हजारी दिल्ली ।
6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ।
7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जयसिंह मार्ग, अशोका रोड, नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को अनुपालनार्थ।

8. उपायुक्त, यातायात पुलिस (मुख्यालय), देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली ।
9. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली।
10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केंद्र, नई दिल्ली को परिषद के प्रत्येक बड़े विभाग को अनुपालनार्थ।
11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ।
12. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन को अनुपालनार्थ।
13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फ़ेस-2, झण्डेवाला, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु।

अजय सिंह
22-1-26

(अजय सिंह)
उप-सचिव (क०स० एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सातवां तल,
सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/3550-3550

दिनांक: 22/01/26

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, समस्त स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषय : हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर इस विभाग द्वारा जारी पत्रांक संख्या 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा दिनांक 19.08.2019 का तथा तदुनरान्त जारी अनुस्मारक दिनांक 04.04.2022, 27.03.23 13.10.2023, 30.10.2024 व 29.04.2025 का संदर्भ लें। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 दिनांक 26.1.2004 से लागू किया जा चुका है जिसमें हिन्दी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए समस्त विभागों का दायित्व और भी बढ़ जाता है।

आपकी जानकारी में यह भी लाया जा रहा है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर केन्द्रीय राजभाषा नियम 5 के अनुसार हिन्दी में ही दिया जाना अनिवार्य है। इसके कार्यान्वयन के लिये किसी प्रकार की कठिनाई हेतु इस विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त व्यवस्था के बारे में अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक निदेश देने का कष्ट करें।

मुवदीय
3-10-11-11
22.1.26

(अजय सिंह)

उप-सचिव (क0सं0 एवं भाषा)

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/3551-3563

दिनांक: 22/01/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय परिसर, तीस हजारी दिल्ली
6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जयसिंह मार्ग, अशोका रोड़, नई दिल्ली, को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को अनुपालनार्थ।
8. उपायुक्त, यातायात पुलिस (मुख्यालय), देव प्रकाश शास्त्री मार्ग,, पूसा, नई दिल्ली
9. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली।

10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केंद्र, नई दिल्ली का परिषद के प्रत्येक बड़े विभाग को अनुपालनार्थ।
11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली का प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ।
12. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली का प्रत्येक जोन को अनुपालनार्थ।
13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फ़ॉर्स-2, झण्डेवाला, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु।

3103 19E
22.11.26

(अजय सिंह)
उप-सचिव (कांसां एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सातवां तल,
सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/3564-3614

दिनांक: 22/01/26

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, समस्त स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये हिन्दी में लिखे/हस्ताक्षरित पत्रों के उत्तर हिन्दी में सुनिश्चित करने संबंधी।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर इस विभाग द्वारा जारी पत्रांक संख्या 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा दिनांक 19.08.2019 का तथा तदुपरान्त जारी अनुस्मारक दिनांक 04.04.22, 27.03.23 13.10.2023, 30.10.2024 व 29.04.2025 का संदर्भ लें। सूचना के अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये समय-समय पर दिल्ली सरकार के विभागों/कार्यालयों तथा इसके अन्तर्गत आने वाले स्थानीय निकायों के जनसूचना अधिकारियों के पास गणमान्य नागरिकों तथा अग्रणी संस्थाओं द्वारा हिन्दी में लिखे/हस्ताक्षरित आवेदन पत्र प्राप्त होते रहते हैं।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिन्दी में पत्र आदि का उत्तर, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हो, किसी भी राज्य सरकार, व्यक्ति या केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से प्राप्त हो, उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाए। राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10 (4) के अनुसार दिल्ली सरकार के अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में प्रवीण भी हैं और इसके आधार पर उनसे आशा की जाती है कि सूचना के अधिकार, 2005 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये हिन्दी में लिखे/हस्ताक्षरित पत्र के उत्तर हिन्दी में प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत करें ताकि आवेदक को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपेक्षित जानकारी हिन्दी में उपलब्ध हो सके। इस संबंध में आपको पूर्व में पत्र सं0फा0 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/ दिनांक 27.03.2023, 13.10.2023 व 30.10.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया अपने जनसूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी तथा सूचना के अधिकार, 2005 संबंधी कार्य देख रहे सभी कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को अनुपालन हेतु आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

भ्रमदीय
3-13-24 KHE
22-01-26
(अजय सिंह)
उप-सचिव (क0सं0 एवं भाषा)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खादय एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय परिसर, तीस हजारी दिल्ली ।
6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली ।
7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जयसिंह मार्ग, अशोका रोड, नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को अनुपालनार्थ ।
8. उपायुक्त, यातायात पुलिस (मुख्यालय), देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली ।
9. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली ।
10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केंद्र, नई दिल्ली को परिषद के प्रत्येक बड़े विभाग को अनुपालनार्थ ।
11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ ।
12. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन को अनुपालनार्थ ।
13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झण्डेवाला, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु ।

अजय सिंह
22.11.20

(अजय सिंह)
उप-सचिव (क0सं0 एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/ 3678-3677

दिनांक: 22/01/26

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, समस्त स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषय: नामपट्ट, सूचना पट्ट, रबड़ की मोहरे, मैन्युल प्रक्रिया संबंधी साहित्य, निमंत्रण पत्र, बैज, इशतहार, होर्डिंग, प्रवेश पत्र, पहचान-पत्र, यातायात संकेतों, यातायात संबंधी दिशा-निदेशों, प्रपत्रों, परिपत्रों, भाषणों, स्मृति चिन्हों, लोगो, फाइल कवरों, बैनरों, लेखन सामग्री में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित करवाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 5.12.2007, 30.7.09, 4.1.2010, 30.4.2010, 26.7.2010, 14.01.2011, 03.5.2011, 04.04.2022, 27.3.2023, 13.10.2023, 30.10.2024 व 29.04.2025 को जारी परिपत्रों की ओर आकर्षित किया जाता है। इस विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 6.5.1996 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013/2/96-रा0भा0 एवं दिनांक 24.5.1994 के कार्यालय ज्ञापन सं0 1/14013/8/94-रा0भा0ए-1 में भी स्पष्टतः उल्लेख है कि नामपट्ट, सूचना पट्ट, रबड़ की मोहरे, मैन्युल प्रक्रिया संबंधी साहित्य, निमंत्रण पत्र, बैज, इशतहार, होर्डिंग, प्रवेश पत्र, पहचान-पत्र, यातायात संकेतों, यातायात संबंधी दिशा-निदेशों, प्रपत्रों, परिपत्रों, भाषणों, स्मृति चिन्हों, लोगो, फाइल कवरों, बैनरों, लेखन सामग्री में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए, लेकिन इस के बावजूद भी दिल्ली सरकार के कुछ विभाग/कार्यालय तथा उनके अधीन स्वायत्त निकाय/उपक्रम निष्ठापूर्वक इनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं करवा रहे हैं। जो कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों के उपबंधों का पूर्णतः उल्लंघन है। अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि आप व्यक्तिगत रुचि लेकर विभाग के केयर टेकिंग से जुड़े कर्मचारियों/अधिकारियों से इसका अनुपालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भूवदीय

अजय सिंह
22.1.26

(अजय सिंह)

उप-सचिव (क0सं0 एवं भाषा)

फा.सं. 08(06)/2019-20/क0सं0 एवं भाषा/ 3678-3690

दिनांक: 22/01/26

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय परिसर, तीस हजारी दिल्ली ।
6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ।
7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जयसिंह मार्ग, अशोका रोड, नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को अनुपालनार्थ।
8. उपायुक्त, यातायात पुलिस (मुख्यालय), देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली ।

9. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिनटों रोड, नई दिल्ली।
10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका कैंप, नई दिल्ली को परिषद के प्रत्येक बड़े विभाग को अनुपालनार्थ।
11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ।
12. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन को अनुपालनार्थ।
13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झण्डेवाला, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु।

अजय सिंह
22-1-26
(अजय सिंह)
उप-सचिव (क०स० एवं भाषा)